International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 04(II), October - December, 2021, pp.119-124

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाएं– चुनौतियां व संभावनाएं (बाड़मेर जिले के विशेष संदर्भ में)

मांगी लाल*

सार

भारत गांवों का देश है, क्योंकि यहां अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है। पुरातन काल से ही यहां गांव सशक्त रहे है। गांवों को स्वायत्ता प्रारम्भ से ही मिली है। यहां की पंचायतीराज संस्थाएं ग्रामीण विकास का आधार स्तम्भ है। स्वतंत्रता के बाद इस संदर्भ में व्यापक प्रयास किए गए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से लेकर 73 वें संविधान संशोधन 1992 तक इस क्षेत्र में प्रयास जारी रहे और अंततः इसे संवैधानिक दर्जा मिला परतुं सैद्धांतिक आधार मिलने के पश्चात भी पंचायतीराज संस्थाएं अपने व्यावहरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नही हो सकी विशेशकर राजस्थान के पिछड़े बाड़मेर जैसे जिले में पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति अंत्यत दयनीय है। प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान के बाड़मेर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं की प्रमुख समस्याओं व चुनौतियों की पहचान कर एवं उनका समाधान किस प्रकार किया जाए हेतु संभावनाएं सुनिश्चितकरने का प्रयास किया गया है।

शब्दकोशः *पंचायतीराज संस्थाएं, स्थानीय स्वशासन, गणपूर्ति, राजनीतिक सहभागिता, प्रशासनिक जनचेतना।*

प्रस्तावना

स्वतंत्रताके पश्चात पंचायतीराज संस्थाओं को क्रियान्वित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। जहां 2 अक्टुम्बर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं का दीप प्रज्वलित किया। आज स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की विचारधारा को समेटे हुए पंचायतीराज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में क्रियान्वित है। संविधान निर्माण के शुरूआती दौर में पंचायतीराज से सम्बधित कोई भी स्पश्ट प्रावधान न होने पर महात्मा गांधीजी ने हरिजन पत्र के अंक 21 दिसम्बर 1947 में लिखा–''मुझे बताया गया है कि संविधान के मसौदे में ग्राम पंचायतों एवं विकेन्द्रीकरण के लिए कोई नीति निर्देश नही है। यह निश्चित ही एक बहुत बड़ी भूल है। जिसमें अविलंब सुधार होना चाहिए, तब ही स्वतंत्र भारत में जनसाधारण की आवाज को बल मिलेगा। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होगी, जनसाधारण का उतना ही अधिक हित होगा।'' इस प्रकार संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतीराज संस्थाओं के गठन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया।

भारत में पंचायतीराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा पर आधारित है जिसका अर्थ है स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को जानकर स्वयं जनता द्वारा ही अपने स्वहित के लिए योजनाएं बनाना, पहल करना, स्वतंत्रतापूर्वक उसको क्रियान्वित करना तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राजनीति व प्रशासन में अपनी सहभागिता देना है। इस संदर्भ में विनोभा भावे का कहना था कि 'गांव का सारा इंतजाम गांव को अपने हाथ में लेना होगा, अपना भला–बुरा दुसरा कोई नहीं सोच सकता, हम खुद ही अपना उद्धार कर

---

[6] शोधार्थी, (राजनीति विज्ञान विभाग), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास ही गांव वालों में पैदा करना होगा, गांव का कारोबार संभालने के लिए ग्रामसभा मजबुत बनानी होगी।" आज दुनिया के सामने जो बहुत सी समस्याएं है, छोटे पैमाने पर एक गांव में भी हुआ करती है जैसे उत्पादन बढाना, शिक्षा की योजना, आरोग्य का प्रबंध, पड़ोसी गांव से सम्बध, शांति की रक्षा आदि यह सब काम गांव में उपस्थित है इसलिए एक और समस्या निदान के लिए संयुक्त राश्ट्र संघ जैसी संस्था आवश्यक है तो दूसरी ओर ग्राम स्वराज्य संस्था भी आवश्यक है। ग्रामीण पंचायतीराज संस्थाएं विश्व समस्या को हल करने का प्रयोग है।

भारत में पंचायतीराज की अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नही है। शाब्दिक दृश्टि से पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाशा के दो शब्द 'पंचायत' और 'राज' से मिलकर बना है। जिसका सम्पूर्ण अर्थ होता है– पांच जनप्रतिनिधियों का शासन। इस प्रकार पंचायतें स्थानीय स्तर की वें संस्थाएं है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें राश्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त होते है अर्थात एक गांव के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वंय ही प्रबन्ध करना पंचायतीराज व्यवस्था है। भारत में सदियों से पंचायतें एक विशिश्ट प्रकार की प्रकृति एवं कार्यशैली का प्रतिनिधित्व करती रही है। कभी यह जातिय प्रभुता की परिचायक रही है तो कभी लोकतंत्र का स्वाभाविक प्रवाह बनी है परतुं आज स्थिति यह है कि पंचायतीराज में 'पंचायती' तो किसी ओर के पास है और 'राज' किसी दुसरे के अधिन है। इन दोनों के संतुलित समागम के बिना पंचायतीराज के लक्ष्यों को प्राप्त करना किंचित कठिन हो गया है। हमने पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना यह सोचकर कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। जो विकास की ज्योति को हमारे लाखों गांवों तक पहुंचाएगी, यह ऐसी क्रांति है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लाखों लोगों और हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात भारतीय महिलाओं के लिए नए अवसर खोल देगी, यह क्रांति मनमाने ढंग के प्रशासन को समाप्त कर देगी तथा प्रशासन को प्रतिनिधित्वपूर्ण, उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाएगी परतुं वास्तविकता के धरातल से परे ऐसा कुछ नही हुआ।

राजस्थान का बाड़मेर जिला दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, विशम आर्थिक–सामाजिक परिवेश एवं प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। इसके अलावा इस जिले की शैक्षणिक संरचना भी संतोशप्रद नहीं है अतः स्वाभाविक है कि यहां पंचायतीराज संस्थाओं की स्थिति अंत्यत दयनीय रही। शोध कार्य के दौरान मैनें अपने सर्वेक्षण व अध्ययन के आधार पर मैनें पाया कि बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायतों के अधिकांश सरपंच पंचायत के दो कार्यो तक ही सीमित हो गए एक तो अपने प्रतिद्वंदी से बदला लेने का कार्य करना और दूसरा पंचायत के धन को जितना हड़पा जाए उतना हड़पना। परिणामस्वरूप आम लोगों में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रति विश्वास उठने लगा है। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं चुनौतियों को निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा सकते है। –

- **ग्रामसभा में गणपूर्ति की चुनौती :** – संविधान के अनुच्छेद 243(बी) के अनुसार एक ग्राम पंचायत के समस्त पंजिकृत वयस्क मतदाताओं के सामुहिक रूप में बनी ग्रामसभा एक सशक्त स्थानीय निकाय है। 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्रामसभा को संवैधानिक संस्था होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। जो अपने क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु विभिन्न योजना बनाने, बजट बनाने तथा विकास कार्यो पर निगरानी रखने के लिए उत्तरदायी है। संविधान द्वारा ग्रामसभा की बैठक न्यूनतम गणपूर्ति ग्राम पंचायत में कुल मतदाताओं के दसवें भाग के बराबर रखी गई परतुं वास्तविकता यह है कि बाड़मेर जिले की अधिकांश ग्रामसभाओं की बैठक में कुल मतदाताओं के पांच प्रतिशत मतदाता भी ग्रामसभा की बैठकों में नही आते है। केवल फर्जी हस्ताक्षर एवं अगुठे के निशान लगाकर रजिस्टर में कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाती है।
- **आपसी प्रेम, सौहार्द तथा बन्धुत्व की भावना में निरतंर कमी की चुनौती :** – पंचायतीरात संस्थाओं के कारण ग्रामीण लोगों में आपसी प्रेम, सौहार्द तथा बन्धुत्व की भावना में निरतंर कमी आई है। वस्तुतः इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से पंचायतीरात संस्थाओं को दोशी नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन यह भी सत्य है कि लोकसभा चुनाव में जहां ग्रामीण 40–50 प्रतिशत मतदान करते है। वहीं पंचायतीराज चुनाव

में 90–100 प्रतिशत मतदान करते है। बाड़मेर जिले में मूछों की लड़ाई के रूप में लड़े जाने वाले पंचायतीरात संस्थाओं के चुनाव के समय अधिकांश लोक सेवक चुनाव ड्यूटी से बचना चाहते है। क्योंकि चुनाव में खूले आम हिंसा व खून–खराबा होता है तथा भाई–भतीजावाद से लेकर जातिवाद तक और राजनीतिक विद्वेशों से लेकर भ्रश्ठ आचरण तक सब कुछ सरे आम होता है। संविधान, कानून तथा अनुशासन किसी कोने में दफन हो जाते है तथा एक अजीबसा भयनुमा एवं परस्पर अविश्वास से भरा वातावरण बन जाता है।

- **वित्तीय चुनौतियां :** – राज्य वित्त आयोग के गठन तथा राज्य के समेकित कोश से पंचायतीरात संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है परतुं राज्य के सीमित संसाधनो से इसकी बहुत अपेक्षा नही की जा सकती है। राजस्थान पंचायतीरात संस्थाएं सरकारी निधि व्यवस्था पर लगभग पूरी तरह निर्भर रहती है जब पंचायतें संसाधन स्वयं संगृहित नही करती, आत्मनिर्भर नहीं होती और बाहर से निधि प्राप्त करती है जो जनता निधि व्यय के सामाजिक अंकेक्षण के लिए नही करेगी साथ ही पंचायतीराज संस्थाएं अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से नही कर पाती जिसमें सम्पति पर कर लगाने की शक्ति, व्यापार, बाजार, मेला और अन्य उपलब्ध सेवाओं के लिए भी कराधान, जैसे सड़को पर प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था बहुत कम ही पंचायतें कर लगाने तथा वसुलने के अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करती है। बाड़मेर जिले में अधिकतर पंचायतें यह तर्क पेश करती है कि जब आप खुद लोगों के बीच रहते है तो उनसे कर वसुलना कठिन होता है। और साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता का अभाव होने पर सरकार द्वारा दिया गया वित्त पंचायतीराज संस्थाओं तक पहुंचते–पहुंचते वह आधा रह जाता है।
- **पंचायतीराज संस्थाओं में महिला नेतृत्व की चुनौती :** – राजस्थान पंचायतीराज व्यवस्था में ग्रामीण सत्ता का केन्द्र अभी तक पुरूश वर्ग के हाथों में रहा है। क्योकि वें महिलाओं का स्थान घर में समझते है, पंचायत में नहीं राजस्थान में जनप्रतिनिधियों के पति ही पंचायत का कार्य करते है। उसके कारण उनके लिए 'सरपंच पति' या 'प्रधानपति' जैसे शब्द का प्रयोग में लिए जाते है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश निर्वाचित महिला परिवार के पुरूश वर्ग के माध्यम से चुनाव तो जीत जाती है लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था की नवीन संगठन में उल्लेखित 11वीं अनुसूची के कार्यों के विशयों में योजना तैयार करने व उन्हें कार्यान्वित करने में प्रायः असफल होती है इसी कारण अपवाद को छोड़कर महिलाओं की वास्तविक भूमिका उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निभाई जा रही है। बाड़मेर जिले की पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं के सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत को व्यावहरिक रूप से नही मिल पा रहा है। पुरूशों का वर्चस्व बना हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होने से उनकी संख्या में वृद्धि भलेही ही हुई हो लेकिन वह आज भी पुरूशों के अधिन है इसलिए महिलाएं स्वयं जागरूक एवं शिक्षित होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के महत्त्व को समझकर यदि उनका समुचित उपयोग करती है और आगे बढकर अपनी भूमिकाओं को सशक्त करती है तभी पंचायती राज व्यवस्था में उनके 50 प्रतिशत आरक्षण का वास्तविक अर्थ साबित होगा।
- **राजनीतिक अनुभवहिनता की चुनौती :** – पंचायतीराज अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप विभिन्न स्तरों के पंचायत पदाधिकारियों का निर्वाचन तो हो गया है परतुं उन्हें उनके अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्व की समुचित जानकारी नहीं है। शोध कार्य के दौरान मैनें अपने सर्वेक्षण व अध्ययन के आधार पर मैनें पाया कि राजस्थान के बाड़मेर जिले की साक्षरता दर अत्यधिक न्यून है। यहां के लोग प्रशासनिक नियमों एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं उनमें राजनीतिक अनुभव का नितांत अभाव है। पंचायतों को स्वयं अपने विकास योजनाएं तैयार करने तथा स्वयं कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया परतुं पंचायतों के पास इसके लिए समुचित ज्ञान, कौशल, तकनीकी क्षमता एवं आर्थिक संसाधनों का अभाव है।

- **शैक्षणिक चुनौतियां :** – अशिक्षा सभी समस्याओं का मूल है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के विवेक का सामान्यतः विकास नहीं होता है। अशिक्षित व्यक्ति को गुमराह करना अपेक्षाकृत सरल होता है। राजस्थान का बाड़मेर जिला साक्षरता की दृश्टि से अंत्यत पिछड़ा हुआ है साक्षरता की दृश्टि से बाड़मेर राजस्थान में 29 वें नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की साक्षरता की दर 56. 50 प्रतिशत है। पूर्व पंचायत अधिनियम की धारा 13 में पंचायतों के सरपंच पद के लिए प्रत्याशी के लिए हिन्दी भाशा के ज्ञान की योग्यता अर्थात पढने लिखने की योग्यता, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था परतुं वर्तमान सरकार द्वारा पंचायतीराज व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यत की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार देखे तो पहले अधिनियम की यह व्यवस्था उचित थी कि सरपंच पद के लिए व्यक्ति का साक्षर होना आवश्यक है क्योंकि उसे न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने होते है। बाड़मेर जिले की पंचायतों के अधिकांश सरपंच निरक्षर है जिनके कारण उन्हें प्रशासनिक कार्य करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **पंचायतों पर नौकरशाही के नियंत्रण की चुनौती :** – पंचायतीराज संस्थाओं में भी नौकरशाही का बोलबाला है पंचायत अधिकारियों को कार्यक्रम योजना तथा वित्त आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर आश्रित रहना पड़ता है। राजस्थान राज्य में ग्राम पंचायतों को एक प्रकार का अधीनस्थ स्थान दे दिया गया है क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंचो को अधिक समय प्रखण्ड़ कार्यालयों में फण्ड और तकनीकी अनुमोदन के लिए जाना पड़ता है प्रखण्ड़ कार्यालय के कर्मचारियों के साथ काम करने से चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंचो की भूमिका पर आंच आती है प्रखण्ड कार्यालय के कर्मचारियों के साथ काम करने से चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों की भूमिका पर आंच आती है तथा नौकरशाही का बोलबाला रहता है।
- **प्रशासनिक जनचेतना की चुनौती :** – जन सामान्य में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रति जनचेतना एवं जागृति का अभाव है जिससे ग्रामीण विकास में जन सामान्य की सहभागिता एवं सहयोगी भूमिका प्राप्त नहीं हो पा रही है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन एक गंभीर चिंतन का विशय है पंचायती राज संस्थाओं से यह अपेक्षा थी कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यक्रम स्वयं तैयार करेगी और उनका क्रियान्वयन भी खुद ही करेगी। यह व्यवस्था लागू करते समय यह अनूमान लगाया गया था कि जो प्रतिनिधि पंचायतों में चुनकर आएंगे उनमें प्रशासनिक चेतना होगी परंतु प्रशासनिक जनचेतना एवं जन सशक्तिकरण के अभाव में पंचायतीराज संस्थाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी चुनौती आई है।
- **अन्य चुनौतियां :** – संसद एवं विधानसभाओं के समान पंचायतीराज संस्थाओं में भी भ्रश्ट एवं राजनीतिक अपराधिक तत्वों का समावेश हो चुका है। जिसके कारण पंचायती राज संस्थाएं अपनी गरीमा एवं अपने उद्देश्य को भूल रही है भ्रश्ट प्रतिनिधियों तथा भ्रश्ट प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से विकास की योजनाएं वास्तविकता के धरातल से परे मात्र कागजों में ही क्रियान्वित हो रही है।

पंचायतीराज संस्थाओं की उपरोक्त चुनौतियां एवं समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पश्ट है कि इस दिशा में सुधार अपेक्षित है इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए–

- ग्राम पंचायतों की संरचना एवं कार्यप्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए तथा समय–समय पर इसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए तथा ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को मीडिया, पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाए रेडियो, टी.वी प्रसारणों में वार्ताओं व विशेश रूप से ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर सूचनाओं का प्रसारण किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर समय–समय पर बैठकों का आयोजन कर ग्रामीणों की सहभागीता में वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए तथा विकास कार्यक्रमों की जानकारी के लिए ग्रामीणों का भरपुर सहयोग लिया जाना चाहिए।

- शासन प्रणाली का सर्वश्रेश्ठ रूप अर्थात लोकतंत्र की ग्रासरूठ स्तर पर स्थापना पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हुई लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायतीराज संस्थाओं ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्रामीण लोगों को आवाज एवं जुबान दोनों दी हैं। अतः लोगों में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रति आपसी प्रेम, विश्वास, सौहार्द तथा बंधुत्व की भावना को बढावा दिया जाना चाहिए।
- पंचायतों के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव है इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को विविध वित्तीय व वैधानिक अधिकार व स्वायत्ता प्रदान कर इसमें सुधार किया जाना अपेक्षित है। हालांकि राज्य वित्त आयोग के गठन तथा राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परतुं राज्य के सीमीत संसाधनों से इसकी बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए।
- केवल आरक्षण की व्यवस्था करने से महिलाओं और कमजोर वर्गों को वास्तविक नेतृत्व नहीं मिलेगा इसके लिए महिलाओं एवं कमजोर वर्गो के लिए पर्याप्त रूप से प्रशासनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रशिक्षण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है इसलिए प्रशिक्षण के अभाव में पंचायतीराज संस्थाओं के विकास से संबंधित समस्त योजनाएं प्रभावी नहीं रहती तथा लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य असफल हो जाता है पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ग्राम स्तर पर शिक्षा की अवधारणा का समुचित विकास और प्रचार किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों से निरक्षरता, अज्ञानता और अशिक्षा को दूर किया जाना चाहिए।
- पंचायतीराज संस्थाओं में होने वाले भ्रश्ठाचार एवं अपराधी तत्वों के प्रवेश प्रतिबंध लगाने के लिए जनता को अपने भ्रष्ठ एवं अयोग्य प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का 'राइट टू रिकॉल' का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी राज्यों में न्याय पंचायत का प्रावधान नहीं है प्राचीन काल से पंचायतें स्थानीय स्तर पर विवादों एवं झगड़ों का निस्तारण करती आई है वर्तमान पंचायतीराज संस्थाओं से पूर्व में कार्यरत न्याय पंचायतरूपी संस्था के लिए कोई स्थान नहीं है सामाजिक संरचना सामान्य विवाद की स्थिति में लोगों को न्याय देने का कार्य होता है अतः संविधान में ग्रामीण न्यायालयों की संरचना और क्षेत्राधिकार को भी स्पश्ट किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में गांधीजी के ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए संसद द्वारा 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर पंचायतीराज संस्थाओं को तीसरी सरकार के रूप में स्थापित किया गया है। पंचायतीराज संस्थाओं के पास अपनी सोच के अनुसार अपने गांव के विकास का ढांचा तैयार करने, विकास के लिए योजनाएं बनाने उनके कार्यान्वयन के विशय में निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई है परतुं वर्तमान परिदृष्य में पंचायतीराज संस्थाओं के समक्ष कई चुनौतियां आकर सामने खड़ी हो गई है इसलिए इन चुनौतियों एवं समस्याओं का पंचायतीराज संस्थाओं को डटकर सामना करना होगा। जब पंचायतीराज संस्थाएं स्वयं में एक सरकार है तथा जब पंचायतीराज स्वयं में एक मंत्रालय है तो हमारी पंचायतीराज संस्थाओं को राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के अधिन क्यों काम करना पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि समाप्त किए जाने वाले कानूनों में उन सभी कानूनों को भी सम्मिलित किया जाए जो पंचायतों की स्वायत्ता में बाधा बने हुए हैं तथा पंचायतों की पूर्ण स्वायत्ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार कानून भी बनाए जाए। प्रशासनिक जन चेतना एवं जन सशक्तिकरण के माध्यम से ही पंचायतीराज संस्थाओं को अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सुची

1. कटारिया, सुरेन्द्र : पंचायती राज संस्थाएं : अतीत, वर्तमान और भविश्य, नेशनल पब्लिकेशिगं हाउस,जयपुर, 2010, पृष्ठ संख्या 26–27
2. डॉ. महिपाल : पंचायतीराज चुनौतियां एवं संभावनाएं, राश्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 113
3. मैथ्यू, जॉर्ज : भारत में पंचायतीराज : परिप्रेक्ष्य एवं अनुभव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 11
4. शर्मा, कृश्णा दत्त व दाधीच, सुनिता : राजस्थान पंचायत कानून, पंचायतीराज जन चेतना संस्थान, जयपुर 1997 पृष्ठ संख्या 9
5. आर्य, विमला : पंचायतीराज में महिलाओं की भूमिका, राजस्थानी ग्रंथागार, सोजती गेट, जोधपुर, 2013, पृष्ठ संख्या 266
6. त्रिपाठी, राजमणी : पंचायती राज व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, कुरू क्षेत्र पत्रिका, 2009 पृष्ठ संख्या 13
7. महला, एच. एस., : राजस्थान में पंचायतीराज की वर्तमान स्थिति, समस्याएं एवं सुझाव, राजस्थान विकास, मार्च–अप्रैल 1999, पृष्ठ संख्या 7
8. जोशी, डॉ. आर पी एवं मंगलानी, डॉ. रूपा : भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर 2010 पृष्ठ संख्या 56
9. कुमावत, ललित, : पंचायतीराज एवं वंचित महिला समुह का उभरता नेतृत्व, क्लासिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या 122
10. मीणा, हरिमोहन, : पंचायतीराज संस्थानों और उनके विकास : राजस्थान के संदर्भ में शोध पत्रिका, सितम्बर 2018, पृष्ठ संख्या 11
11. राजस्थान पंचायतीराज वार्षिक प्रतिवेदन 2018 से 2021 तक।
12. राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति एवं दैनिक भास्कर बाड़मेर।
13. www.barmer.rajasthan.gov.in
14. www.panchaytraj.gov.nic.in
15. www.rajpanchayt.rajasthan.gov.in

❖◆❖